


022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। वादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है। इसलिए वे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वादीगण द्वारा कार्यवाही नहीं चाहने के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः पत्रावली फ़ैसलंशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।



~~सदस्य~~
लोक अदालत
तालुका विधिक सेवा समिति
वैर (भरतपुर) राज.



अध्यक्ष
लोक अदालत
तालुका विधिक सेवा समिति
वैर (भरतपुर) राज.